सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ, 1941 (श०)

संख्या- 487 राँची, बुधवार, 19 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 जून 2019

संख्या-5/आरोप-1-66/2016-2661 (HRMS)-- श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-495/03, गृह जिला-नवादा, बिहार), के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची की कार्यावधि से संबंधित आरोप निगरानी आयुक्त, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-200, दिनांक-09.02.2010 द्वारा प्रतिवेदित किये गये हैं। श्री प्रभात पर आरोप है कि इनके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं 48 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 11 राजस्व वादों में अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति दी गयी है एवं निगरानी थाना कांड सं०-26/2008 के नामजद अभियुक्त श्रीमती मेनन एक्का को गैर वैधानिक लाभ पहुँचाया गया है । इस प्रकार, श्री प्रभात द्वारा जनजातीय हितों के प्रति उदासीनता, कर्तव्यहीनता तथा अनुशासनहीनता बरती गयी है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-6197, दिनांक-13.10.2010 द्वारा श्री प्रभात को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-6198, दिनांक-13.10.2010 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती मृदुला सिन्हा, तत्कालीन सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्रीमती मृदुला सिन्हा, तत्कालीन प्रधान सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1782, दिनांक-22.09.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री प्रभात के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों हेतु श्री प्रभात के विरूद्ध वृहत् दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-6761, दिनांक-14.11.2011 द्वारा श्री प्रभात से द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी ।

श्री प्रभात के पत्र, दिनांक-22.12.2011 द्वारा अपना उत्तर समर्पित किया गया। श्री प्रभात द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-949, दिनांक-02.02.2012 द्वारा श्री प्रभात को निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किया गया-

1. इनकी तीन वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।
2. प्रोन्नति की देय तिथि से अगले तीन वर्षों तक प्रोन्नति बाधित ।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी देय नहीं होगा ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री प्रभात के पत्रांक-2262, दिनांक-05.07.2012 द्वारा महामहिम राज्यपाल को अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2262, दिनांक-05.07.2012 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ ।

श्री प्रभात के अपील अभ्यावेदन की विधिक्षा (vetting) हेतु संचिका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को पृष्ठांकित की गयी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा विषयगत मामले में परामर्श हेतु संचिका विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी ।

विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं०-8909, दिनांक 09.10.2015 द्वारा श्री प्रभात के अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया गया ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री प्रभात द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका (सं०-W.P.(S) No.-1858/2016) दायर की गयी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2017 को पारित न्यायादेश में इस याचिका को खारिज कर दिया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2017 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध श्री प्रभात द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झाखण्ड में एल०पी०ए० सं०-207/2017 दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 01.05.2019 को पारित आदेश में श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-949, दिनांक-02.02.2012 द्वारा अधिरोपित दण्ड को रद्द कर दिया गया है। साथ ही, इनके द्वारा समर्पित अपील को अस्वीकृत करने संबंधी संकल्प सं०-8909, दिनांक 09.10.2015 को भी रद्द किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 01.05.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री प्रभात के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-949, दिनांक-02.02.2012 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश एवं विभागीय संकल्प सं०-8909, दिनांक 09.10.2015 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी निर्गत आदेश रद्द किया जाता है।

(ख) श्री प्रभात के विरूद्ध गठित आरोपों की प्रति साक्ष्य सहित एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वार एल०पी०ए० सं०-207/2017 में दिनांक 01.05.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

(ग) विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KARTIK KUMAR PRABHAT BHR/BAS/1994	श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-495/03, गृह जिला-नवादा, बिहार), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-949, दिनांक-02.02.2012 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश एवं विभागीय संकल्प सं0-8909, दिनांक 09.10.2015 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी निर्गत आदेश रद्द करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 487 -- 50